फर्द अहकाम

नियम 26

अर्ज अदालत...........उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा................मुकाम....................भादरा..................................

..........................पवनकुमार ....बनाम्...............................सतपाल आदि...

किस्म मुकदमा.......... **88 RT Act**.........नं० ....52 / 19.04.18............सन्.........2018 ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
19-04-2018	आज यह प्रकरण जरिये वकील वादी की ओर से पेश किया गया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 12.05.2018 को पेश है। Rw	
12/5/18	आज यह पत्रावली लोक अदालत हेतु पेश की गई। [illegible] राजीनामा पेश किया जो बाद तसदीक शामिल पत्रावली किया गया। [illegible] सुनी गई। राजीनामा के मुताबिक [illegible] राजीनामा पेश [illegible] पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया [illegible] 1SDR के [illegible] 1.807 है., [illegible] 6SDR के [illegible] 1.012 है. [illegible] खाता नं. 57/52 की 1.012 है. [illegible] के खाता नं. 106/102 की 7.843 है. [illegible] के मुताबिक राजीनामा डिक्री [illegible] पत्रावली नियमानुसार [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Rw अध्यक्ष लोक अदालत भादरा कैम्प-	पवनकुमार पक्षकार [signature] आदि सतपाल विनोद कुमारी मन्जू बाला पक्षकारान BANS[signature]

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस

प्रकरण सं० 52/18

अनवान : 1. पवनकुमार पुत्र सतपाल जाति मेघवाल निवासी गान्धीबड़ी तहसील भादरा।

—वादी

बनाम

1. सतपाल पुत्र गोधुराम जाति मेघवाल निवासी गान्धीबड़ी तहसील भादरा।
2. मन्जू पुत्री सतपाल जाति मेघवाल निवासी गान्धीबड़ी तहसील भादरा।
3. विनोद कुमारी पुत्री सतपाल मेघवाल निवासी गान्धीबड़ी तहसील भादरा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एंव रिकार्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955।

आज यह वाद मुझ श्री राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा एवं बैच के सदस्यों के समक्ष न्याय आपके द्वार 2018 गांधीबड़ी में वकीलवादी श्री मुंशीराम गोस्वामी की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादवादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है व घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 1 एसडीआर के खाता सं० 100/89 के मु० न. 8 के किला न. 22 ता 25, मु० न० 11 के किला न. 1, 9 ता 13, मु० न० 12 के किला न. 2 ता 9, 15 कुल 3.807 हैक्टर नहरी, चक 6 एसडी आर खाता सं० 57/52 के मु० न. 75 के किला न 1, 9, 12, 19, कुल 1.012 हैक्टर नहरी मय खाला तथा चक 15 एएमएस के खाता सं० 106/102 के मु० न. 17 के किला न. 16, 17, 24, 25 मु० न. 18 के किला न. 13 ता 25 मु० न. 23 के किला न. 1 ता 3, 8 ता 12, मु० न. 24 के किला न. 4 ता 7, 14, 15 कुल 7.843 हैक्टर नहरी मय खाला तीनों चकों में प्रतिवादी सतपाल का नाम कलमजन कर उसके स्थान पर वादी व प्रतिवादी स. 1 को बहिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड किया जावे। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने वादभूमि में अपना हक त्याग कर दिया है अतः हक त्याग किए गए हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी वसूल कर तथा यदि भूमि बैंक के रहन हो तो रहन फक के पश्चात् इसी अनुसार रिकार्ड दरूस्त किया जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना—अपना रहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 12 मई 2018 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा, जिला हनुमानगढ